भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1976

दिनांक 06 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पीएमजेएवाई के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज

†1976. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है जिन्होंने विस्तारित पीएमजेएवाई स्वास्थ्य कवर से लाभ उठाया है;

(ख) नई पहल के अंतर्गत आयु-विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, जो चिकित्सा व्यय का भुगतान करने में सक्षम हैं लेकिन अभी भी उक्त योजना के अंतर्गत शामिल हैं, के संबंध में आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त स्वास्थ्य सुरक्षा के संबंध में जागरूकता अभियानों के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत दिनांक 02.12.2024 तक 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के कुल 17,978 वरिष्ठ नागरिकों ने लाभ उठाया है। योजना के तहत लाभ उठाने वाले 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख): स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) के नवीनतम राष्ट्रीय मास्टर में, यह योजना सामान्य चिकित्सा, सामान्य शल्य चिकित्सा, आर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी आदि सहित 27 चिकित्सा स्पेशिलिटी में 1961 प्रक्रियाओं से संबंधित कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है, जिसका लाभ विभिन्न आयु समूहों द्वारा उठाया जा सकता है। इनमें हेमोडायलिसिस / पेरिटोनियल डायलिसिस, एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक, वर्धित उच्च रक्तचाप, संपूर्ण कूल्हा प्रतिस्थापन, संपूर्ण घुटने का प्रतिस्थापन, परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी (पीटीसीए), डायग्नोस्टिक एंजियोग्राम, सिंगल चैंबर परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांटेशन, डबल चैंबर परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांटेशन आदि जैसी उपचार सेवाएँ पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा, राज्यों को स्थानीय संदर्भ के अनुसार स्वास्थ्य लाभ पैकेजों को और अधिक अनुकूलित करने की सुविधा प्रदान की गई है।

(ग): चूँकि इस योजना का उद्देश्य 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, परिवार के आधार पर प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का निशुल्क उपचार लाभ प्रदान करना है, इसलिए सामाजिक-आर्थिक श्रेणियों के लिए विशिष्ट डेटा नहीं रखा जाता है।

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभार्थी केवल एक सरकारी वित्तपोषित योजना के तहत लाभ का दावा करें, दो सत्यापन प्रक्रियायें लागू की गईं हैं। सबसे पहले, लाभार्थियों को यह घोषित करना होगा कि वे भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से वित्तपोषित किसी अन्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त नहीं कर रहे हैं। दूसरे, यदि लाभार्थी संकेत देते हैं कि वे किसी अन्य योजना के अंतर्गत आते हैं, तो उनके पास या तो अपनी वर्तमान योजना कवरेज को बनाए रखने या एबी-पीएमजेएवाई के तहत लाभ प्राप्त करने का विकल्प होता है। यह विकल्प एक बार का और अंतिम होता है।

हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों के लिए निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत कवरेज एबी-पीएमजेएवाई योजना का लाभ उठाने में बाधा नहीं होगी। इसके अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लाभार्थी भी इस योजना के तहत पात्र बने रहेंगे।

(घ): वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड के रूप में एक अलग आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों के बीच आयुष्मान वंदना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यकलाप आयोजित किए गए, जिनमें कई रेडियो और टेलीविज़न अभियान, सोशल मीडिया अभियान, प्रिंट मीडिया विज्ञापन, रेडियो और टेलीविज़न साक्षात्कार, विज्ञापन आदि शामिल हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने राज्यों को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एबी-पीएमजेएवाई के विस्तार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक आईईसी कार्यकलाप शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं।

अनुलग्नक

योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**अस्पताल में भर्ती रोगियों की संख्या**
आंध्र प्रदेश	1
असम	115
बिहार	835
चंडीगढ़	28
छतीसगढ़	133
दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	1
गोवा	98
गुजरात	720
हरियाणा	1543
हिमाचल प्रदेश	283
जम्मू और कश्मीर	12
कर्नाटक	4
केरल	403
लद्दाख	6
मध्य प्रदेश	2111
महाराष्ट्र	5
मणिपुर	148
मेघालय	1
नागालैंड	4
पुद्दुचेरी	7
पंजाब	432
सिक्किम	9
तमिलनाडु	11
त्रिपुरा	28
उत्तर प्रदेश	10893
उत्तराखंड	147

नोट: दिनांक 02.12.2024 तक केंद्रीय रूप से उपलब्ध डेटा

*****